विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2022 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित डा0 आकाश अग्रवाल, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-09 का उत्तर।

प्रश्न	**उत्तर**
9(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि खसरा नंबर-218, गांव पट्टी पचगई रोहता, ब्लॉक-बरौली अहीर, तहसील-सदर जिला आगरा में प्रधान व भू-राजस्व अधिकारियों द्वारा गांव की पोखर को खोदने की जगह किसानों के लिए कृषि कार्य हेतु गुल को खुदवा कर उसमें गांव का गंदा पानी डालने के लिए गुल खुदवाई जा रही है जबकि भू-राजस्व अभिलेखों में 62 सालों से यह भूमि पोखर के नाम दर्ज है ?	जिलाधिकारी की आख्यानुसार मौजा पंचगाई तहसील व जिला आगरा में खसरा संख्या-218 रकवा 1.5090 हे0 रूद्र प्रकाश पुत्र हरि विलाश निवासी पटटी पंचगाई व श्री चन्द पुत्र धनपाल व आनन्द प्रकाश पुत्र धनपाल निवासी, गढ़ी रोहता, मजरा रोहता तहसील व जिला आगरा के नाम मौजा पटटी पंचगाई की खतौनी सन् 1428 लगायत 1433 फसली (01 जुलाई, 20 से 30 जून, 26) के खाता संख्या-00067 पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार के रूप में दर्ज है। गाटा संख्या-218 में कोई खुदाई नहीं करायी गयी है। उक्त गाटा संख्या-218 जोत चकबंदी आकार पत्र 41 व 45 के अनुसार चकबंदी के समय से ही संक्रमणीय भूमिधर कास्तकारों की भूमि है। इस गाटा संख्या-218 में राजस्व अभिलेखों में कोई पोखर दर्ज नहीं है।
(ख) पूर्व प्रधान व पूर्व राजस्व अधिकारियों के द्वारा मिलीभगत करके राजस्व अभिलेखों में पोखर को हटाकर उसमें आबादी दर्ज करा दी गयी है, वर्तमान में भी भूमि पर पोखर बना हुआ है जबकि नहर विभाग के अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इसमें गांव का पानी गुल में नहीं डाला जायेगा?	पूर्व प्रधान व पूर्व राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व अभिलेखों में किसी भी पोखर को हटाकर आबादी दर्ज नहीं की है। मौजा पटटी पंचगाई का खसरा संख्या-101 रकवा 0.6200 हे0 श्रेणी-6(2) आबादी भूमि के रूप में दर्ज है। इसके कुछ भाग में गढ्ढे के रूप में पानी जमा बना रहता है। जो ग्रामवासियों के मकानों में इस्तेमाल किया जा रहा पानी होता है। जोत चकबंदी आकार पत्र 41 व 45 में भी गाटा संख्या-101 रकवा 0.6200 हे0 श्रेणी 6(2) आवादी दर्ज है। बरसात में अधिक पानी इकट्ठा हो जाने के कारण ग्राम रोहता से पटटी पंचगाई होकर देवरी रोड को जाने वाली पक्की सड़क गाटा संख्या-103 (रास्ता) पर इस गढ्ढे के सामने वाले हिस्से में पानी भर गया है तथा आवादी के इस गढ्ढानुमा स्थान पर भी काफी पानी जमा हो गया है। इस पानी को निकालने हेतु नाली (गूल) गाटा संख्या-127 रकवा 0.0170 हे0 में ब्लाक की टीम द्वारा खुदाई कराकर गाटा संख्या-75 रकवा 0.2310 हे0 गाटा संख्या-74 रकवा 0.1383 हे0 पीली मिट्टी की भूमि में अस्थायी रूप से निकालने की व्यवस्था की है, ताकि जल भराव

के कारण किसी मौसमी बीमारी व किसी जान-माल की क्षति होने की आकस्मिक घटना से बचा जा सके। नहर की गुल में ग्राम का कोई गंदा पानी नहीं डाला गया है।

(ग) क्या नियम विरूद्ध कार्य किया जा रहा है, उसके लिए किस स्तर के अधिकारी जिम्मेदार है और इन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी?

किसी भी सरकारी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा कोई नियम विरूद्ध कार्य नहीं किया गया है। इसलिए किसी कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री।